वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 35
राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	209652.68	3.66	209656.34	227548.22	4.30	227552.52	247260.72	34.30	247295.02	189707.53	119.84	189827.37
वसूलियां	*-97589.48*	...	*-97589.48*	*-106093.23*	...	*-106093.23*	*-115793.29*	...	*-115793.29*	*-43204.69*	...	*-43204.69*
प्राप्तियां	*-204.00*	...	*-204.00*	*-228.00*	...	*-228.00*	*-275.00*	...	*-275.00*	*-275.00*	...	*-275.00*
निवल	**111859.20**	**3.66**	**111862.86**	**121226.99**	**4.30**	**121231.29**	**131192.43**	**34.30**	**131226.73**	**146227.84**	**119.84**	**146347.68**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	445.88	...	445.88	424.61	...	424.61	378.84	...	378.84	335.77	71.44	407.21
2. मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का कार्यान्वयन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
3. प्रवर्तन निदेशालय	306.39	...	306.39	357.57	...	357.57	398.97	...	398.97	404.57	...	404.57
4. स्वापक नियत्रंण	35.28	...	35.28	41.46	...	41.46	51.50	...	51.50	49.92	...	49.92
5. विशेष जांच दल	2.22	...	2.22	2.99	...	2.99	2.66	...	2.66	2.91	...	2.91
6. वास्तविक वसूलियां	-0.07	...	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**789.70**	**...**	**789.70**	**826.64**	**...**	**826.64**	**831.97**	**...**	**831.97**	**793.18**	**71.44**	**864.62**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	8.88	...	8.88	9.42	...	9.42	9.50	...	9.50	10.50	...	10.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. अन्य राजकोषीय सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	42.71	42.71
अन्य												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	7.66	...	7.66	11.57	...	11.57	12.71	...	12.71	13.70	...	13.70
10. अन्य व्यय	45.29	...	45.29	55.85	...	55.85	58.00	...	58.00	58.07	...	58.07
11. अफीम एवं क्षारोध कारखाना												
11.01 अफीम और क्षारोद कारखानों में कार्यशील व्यय	217.58	...	217.58	318.15	...	318.15	321.93	...	321.93	331.36	...	331.36
11.02 कम राजस्व प्राप्ति	-204.00	...	-204.00	-228.00	...	-228.00	-275.00	...	-275.00	-275.00	...	-275.00
11.03 अफीम और क्षारोद कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	2.25	2.25	...	1.28	1.28	...	1.28	1.28	...	5.57	5.57
जोड़- अफीम एवं क्षारोध कारखाना	*13.58*	*2.25*	*15.83*	*90.15*	*1.28*	*91.43*	*46.93*	*1.28*	*48.21*	*56.36*	*5.57*	*61.93*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
13. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	...	1.41	1.41	...	0.01	0.01	...	30.01	30.01	...	0.09	0.09
14. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	0.03	0.03
15. जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार	198.62	...	198.62	233.32	...	233.32	233.32	...	233.32	296.00	...	296.00
जोड़-अन्य	**265.15**	**3.66**	**268.81**	**390.90**	**4.29**	**395.19**	**350.96**	**34.29**	**385.25**	**424.13**	**5.69**	**429.82**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**274.03**	**3.66**	**277.69**	**400.32**	**4.30**	**404.62**	**360.46**	**34.30**	**394.76**	**434.63**	**48.40**	**483.03**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	0.02	...	0.02
17. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
18. जीएसटी को लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति												
18.01 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	110795.47	...	110795.47	120000.00	...	120000.00	130000.00	...	130000.00	145000.00	...	145000.00
18.02 .राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों के लिए राजस्व घाटा का प्रकाशन	97500.00	...	97500.00	106000.00	...	106000.00	115662.00	...	115662.00	43055.00	...	43055.00
18.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त की गई राशि	-97500.00	...	-97500.00	-106000.00	...	-106000.00	-115662.00	...	-115662.00	-43055.00	...	-43055.00
निवल	*110795.47*	...	*110795.47*	*120000.00*	...	*120000.00*	*130000.00*	...	*130000.00*	*145000.00*	...	*145000.00*
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**110795.47**	**...**	**110795.47**	**120000.03**	**...**	**120000.03**	**130000.00**	**...**	**130000.00**	**145000.03**	**...**	**145000.03**
कुल जोड़	***111859.20***	***3.66***	***111862.86***	***121226.99***	***4.30***	***121231.29***	***131192.43***	***34.30***	***131226.73***	***146227.84***	***119.84***	***146347.68***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	563.07	...	563.07	659.93	...	659.93	704.82	...	704.82	773.92	...	773.92
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	445.88	...	445.88	424.62	...	424.62	378.84	...	378.84	335.78	...	335.78
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	41.20	...	41.20	52.25	...	52.25	61.84	...	61.84	61.75	...	61.75
5. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	42.71	42.71
6. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.41	1.41	...	0.01	0.01	...	30.01	30.01	...	0.09	0.09
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	71.44	71.44
जोड़-सामान्य सेवाएं	**1050.15**	**1.41**	**1051.56**	**1136.81**	**0.02**	**1136.83**	**1145.50**	**30.02**	**1175.52**	**1171.45**	**114.24**	**1285.69**
सामाजिक सेवाएं												
8. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	0.03	0.03

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**3.00**	**3.00**	**...**	**3.00**	**3.00**	**...**	**0.03**	**0.03**
आर्थिक सेवाएं												
9. अन्य उद्योग	13.58	...	13.58	90.15	...	90.15	46.93	...	46.93	56.36	...	56.36
10. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.25	2.25	...	1.28	1.28	...	1.28	1.28	...	5.57	5.57
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**13.58**	**2.25**	**15.83**	**90.15**	**1.28**	**91.43**	**46.93**	**1.28**	**48.21**	**56.36**	**5.57**	**61.93**
अन्य												
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	103394.47	...	103394.47	111600.02	...	111600.02	118683.00	...	118683.00	130500.02	...	130500.02
12. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	7401.00	...	7401.00	8400.01	...	8400.01	11317.00	...	11317.00	14500.01	...	14500.01
जोड़-अन्य	**110795.47**	**...**	**110795.47**	**120000.03**	**...**	**120000.03**	**130000.00**	**...**	**130000.00**	**145000.03**	**...**	**145000.03**
कुल जोड़	**111859.20**	**3.66**	**111862.86**	**121226.99**	**4.30**	**121231.29**	**131192.43**	**34.30**	**131226.73**	**146227.84**	**119.84**	**146347.68**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. जीएसटीएन एसपीवी में निवेश	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़	**...**	**...**	**...**	**0.01**	**...**	**0.01**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

1. **सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम और स्वापक मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का कार्यान्वयन:** मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को समाप्त करने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

3. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।

4. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5. **विशेष जांच दल:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।

8. **अन्य राजकोषीय सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान जीएसटीएन एसपीवी में शेयरों के अधिग्रहण और ईडी, सीईएसटीएटी, एटीएफपी और एए – पीएमएलए के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

9. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह, एग्मोंन्ट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।

10. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टैट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

11. **अफीम एवं क्षारोध कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोध कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल होती है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।

12. **राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।

13. **लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण और ईडी के कार्य से संबंधित अवसंरचना के लिए है।

14. **आवास पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए किया गया है।

15. **जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार:** संचालन पश्चात व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष माल एवं सेवा कर तंत्र को प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है।

16. **वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान वैट को लागू किए जाने और वैट संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजे के लिए है।

17. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** सांकेतिक प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।

18.01. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण:** जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के तहत भारत की समेकित निधि में एकत्रित उपकर में से लोक खाता में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण का प्रावधान है।

18.02. **.राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों के लिए राजस्व घाटा का प्रकाशन:** जीएसटी के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।

18.03. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त की गई राशि:** यह प्रावधान माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों के मुआवजे के लिए है, जिसे जीएसटी मुआवजा उपकर कोष से पूरा किया जाना है।